समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)
-: आदेश :-

कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठ्न (WHO) के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-33-4 /2020-DM-01, दिनांक 14-03-2020 द्वारा इसे "Notified Disaster" घोषित करते हुए महामारी को कम करने के लिए कई उपायों का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम-1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) की धारा-2, 3 एवं 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "The Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020" निर्गत किया गया है, जिसके तहत् इस महामारी की रोकथाम हेतु कई कठोर उपबंधों का प्रावधान किया गया है। पुनः गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार के पत्रांक-3742, दिनांक 07-07-2020 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी अनलॉक-2.0 के आदेश से भी कड़े आदेश, स्थिति की गंभीरता एवं स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर पारित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मधेपुरा जिला में माह जुलाई, 2020 के आरंभिक दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन, मधेपुरा द्वारा सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा के उपरान्त कोविड-19 के अग्रेतर प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिला में सशर्त लॉकडाउन लगाया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः वर्तमान स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर मैं, नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा "The Bihar Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation, 2020" की धारा-17 एवं 18 तथा गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3472, दिनांक 07-07-2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन समुदाय के जीवन /स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत करता हूँ कि :-

सम्पूर्ण मधेपुरा जिला में दिनांक 10-07-2020 से 16-07-2020 तक के लिए पूर्णतः निम्नांकित शर्त्तों के साथ लॉकडाउन रहेगा।

1-उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक /आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की पूर्व की भाँति अनुमति रहेगी। अन्य निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के पास यात्रा के औचित्य संबंधी साक्ष्य होने चाहिए।

2-मधेपुरा शहर में आने वाले यात्री वाहनों यथा-बसों /टैम्पू /ई-रिक्शा का ठहराव चिन्हित स्थलों पर ही होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

3-उक्त अवधि में सभी निजी /व्यवसायिक /वाणिज्यिकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निम्न प्रकार खुले रहेंगे :-

सब्जी /फल की दुकानें - सुबह 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक

खाद्यान्न /दूध/ किराना की दुकानें - सुबह 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं अपराह्न 04:00 बजे से 07:00 बजे अपराह्न तक। उक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सेवाएँ पूर्व की भाँति प्राप्त सरकारी दिशा-निर्देश के आलोक में जारी रहेंगी।

सभी संबंधित दुकानदार एवं खरीदार को हर परिस्थिति में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि इस दौरान इसका उल्लंघन पाया जाता है, तो उक्त दूकानदार /संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विधि-सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

4-इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं /सेवाओं हेतु घरों से बाहर निकलने वाले आम जन को मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।

5-लॉकडाउन की अवधि में रेंस्टोरेंट में In House Dining पर रोक रहेगी। किन्तु होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

6-ई0-कॉमर्स सेवाएँ जारी रहेगी।

7-अस्पताल /पेट्रोल पम्प /एलपी0जी0 वितरक एजेंसी (गोदाम सहित) को खोलने की अनुमति रहेगी।

8-उक्त अवधि के लिए सभी सरकारी /अर्द्ध सरकारी /स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे, किन्तु कार्यालयों में आमजनों का अनावश्यक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय के सभी कार्यरत कर्मी अपने-अपने कार्य स्थल पर मास्क लगाकर उपस्थित रहेंगे।

9-बैंक /डाकघर /बीमा /ए0टी0एम0 /मीडिया कार्यालय सोशल डिस्टेंस एवं मास्क की अनिवार्य शर्त के साथ खुले रहेंगे।

10-सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं (केन्द्र /राज्य) से संबंधित निर्माण कार्य कोविड-19 के अन्तर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए जारी रहेंगे।

11-उक्त अवधि में निजी नर्सिंग होम /अस्पताल खोलने की अनुमति रहेगी।

12-उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परिसर के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के उपयोग के साथ कार्यरत रहने की अनुमति रहेगी।

13-उक्त अवधि में आमजनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

14-विवाह समारोह में पूर्ववत् अधिकतम 50 लोगों के तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह की पूर्व सूचना लिखित में स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा।

15-EVM/ VVPAT के FLC एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेंगे तथा ऐसे कार्यो में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। उक्त कार्य में लगे सभी कर्मी मास्क पहनेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे।

16–इस संबंध में जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1990 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 09/07/2020

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी ओ0पी0 प्रभारी /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

9/7/2020

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।